झारखण्ड सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग।

संकल्प

2811
5/7/13

विषय :– त्रिस्तरीय पंचायतों को पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कार्यों के संदर्भ में शक्तियों के प्रत्यायोजन की स्वीकृति।

संविधान की धारा–243 (जी0) के प्रावधानों के अनुसार 11वीं अनुसूची में सूचीवद्ध 29 विषयों पर पंचायतों की शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान किया जाना है जो उन्हें स्वायत शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में समर्थ बनाने में सक्षम हो तथा आर्थिक विकास एवं समाजिक न्याय हेतु योजनाओं को तैयार करने, लागू करने, अनुश्रवण करने की शक्ति प्रदान करे। इस परिपेक्षय में त्रिस्तरीय पंचायतों को प्राधिकार प्रदान करने हेतु परामर्शी परिषद् की दिनांक 21.06.2013 को सम्पन्न बैठक की मद संख्या 15 में लिये गये निर्णय के आलोक में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अन्तर्गत कर्मियों, कार्यो एवं निधि की स्वीकृति के अधिकार का हस्तानान्तरण पंचायती राज्य संस्थाओं को निम्न रूप से की जाती है:–

(1) कर्मियों(Functionaries) से संबंधित शक्ति का प्रत्यायोजन

कर्मी	कार्य / अधिकारों का प्रत्यायोजन	प्रत्यायोजन का स्तर
[illegible]	[illegible]	[illegible]
	(I) आकस्मिक अवकाश (II) कार्यपालक अभियंता के द्वारा सम्पादित कराये गये योजनाओं के कार्यान्वियन का अनुश्रवण के क्रम में पायी गयी शिथिलता / अनियमितता / कार्यालय से अनुपस्थित रहने आदि के ठोस आधार होने पर जिला परिषद् द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा अधीक्षण अभियंता को भेजी जा सकेगी।	
सहायक अभियंता / कनीय अभियंता	प्रशासनिक नियंत्रण i). आकस्मिक अवकाश ii). सहायक अभियंता / कनीय अभियंता के द्वारा सम्पादित कराये गये योजनाओं के कार्यान्वियन का अनुश्रवण के क्रम में पायी गयी शिथिलता / अनियमितता / कार्यालय से अनुपस्थित रहने आदि के ठोस आधार होने पर संबंधित पंचायत समिति द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा कार्यपालक अभियंता को भेजी जा सकेगी।	पंचायत समिति

पेयजल (2)

नलकूप खलासी, पलम्बर मिस्त्री, पम्प चालक आदि कार्यभारित एवं श्रमपुस्त कर्मी	प्रशासनिक नियंत्रण (I) आकस्मिक अवकाश (II) नलकूप खलासी, पलम्बर मिस्त्री, पम्प चालक आदि कार्यभारित एवं श्रमपुस्त कर्मी के द्वारा सम्पादित कराये गये कार्यो के कार्यान्वयन का अनुश्रवण के क्रम में पायी गयी शिथिलता/अनियमितता/कार्यालय से अनुपस्थित रहने आदि के ठोस आधार होने पर संबंधित ग्राम पंचायत के मुखिया/VWSC द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा कार्यपालक अभियंता को भेजी जा सकेगी।	ग्राम पंचायत (VWSC)

(2) कार्य (Functions) –

(क) जिला परिषद्, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत को प्रशासनिक स्वीकृति के अधिकार का प्रत्यायोजन निम्नवत् है:–

क्रमांक	राशि	प्रशासनिक स्वीकृति का प्रत्यायोजन स्तर
(i)	रू0 10.00 लाख तक।	ग्राम पंचायत/VWSC
(ii)	रू0 10.00 लाख से अधिक एवं रू0 25.00 लाख तक।	पंचायत समिति
[illegible]	रू0 25.00 लाख से अधिक एवं रू0 50.00 लाख तक।	जिला परिषद्

(ख) योजना का कार्यान्वयन – नलकूप/पाईप जलापूर्त्ति /स्वच्छता/जलछाजन/चेकडैम

	कार्य (Functions)	प्रत्यायोजन स्तर
(i) (ii) ((iii) (IV) (V)	एकल पंचायत योजना की कार्ययोजना तैयार करना। स्थल चयन करना। योजना का कार्यान्वयन करना। जल शुल्क/प्रदूषण शुल्क एकत्र करना। योजना का रख–रखाव।	ग्राम पंचायत (VWSC)
(Vi)	एक ही प्रखंड के अन्तर्गत दो या दो से अधिक पंचायतों की योजना की a) कार्ययोजना तैयार करना। b) योजना के कार्यान्वयन का अनुश्रवण करना। c) दो या दो से अधिक पंचायत के योजना का कार्यान्वयन विभाग के द्वारा किया जाएगा।	पंचायत समिति

(Vii)	ऐसी योजनाएँ जिसका कार्य क्षेत्र दो या दो से अधिक प्रखंडों में हो उसकी a) कार्ययोजना तैयार करना। b) योजना के कार्यान्वयन का अनुश्रवण करना। c) दो या दो से अधिक प्रखंडों की योजना का कार्यान्वयन विभाग के द्वारा किया जाएगा।	जिला परिषद्

(3)	निधि (Fund) -	प्रत्यायोजन स्तर	अभ्युक्ति
i)	कार्यपालक अभियंता की यह जिम्मेवारी होगी कि कंडिका–3 (II) क के तहत स्वीकृत योजनाओं को संकलित कर जिला जल एवं स्वच्छता मिशन (DWSM) में पारित कराकर राशि आवंटन हेतु विभाग को उपलब्ध करा दें।	ग्राम पंचायत (VWSC)	प्रथम किस्त की 60% राशि खर्च होने के उपरान्त ही द्वितीय किस्त की राशि विमुक्त की जाएगी।
ii)	विभाग द्वारा जिला जल एवं स्वच्छता मिशन (DWSM) को राशि उपलब्ध करायी जाएगी। DWSM द्वारा 25 लाख तक की योजना के लिए राशि ग्राम पंचायत /VWSC के खाते में सीधे राशि हस्तानान्तरित की जाएगी।		
iii)	25 लाख से उपर की राशि पूर्व की भाँति [illegible]		

(4) उक्त तालिका की कंडिका (1) एवं (2) में इंगित व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू होगी। कंडिका (3) के सम्बन्ध में अलग से दिशा निर्देश जारी किया जायेगा।

(5) यह आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को जनसाधारण के सूचनार्थ झारखण्ड सरकार के असाधारण गजट में प्रकाशित किया जाए।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेशानुसार

5.7.13

(सुधीर प्रसाद)
अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक–5 / विविध–2222 / 12– 2811 / राँची, दिनांक– 5/7/13

प्रतिलिपि–अधीक्षक, राजकिय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं झारखण्ड राजपत्र के असाधारण असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. अनुरोध है कि झारखण्ड राजपत्र के उक्त अंक की 200 प्रतियाँ पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को अभिलेखार्थ उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।

5.7.13

(सुधीर प्रसाद)
अपर मुख्य सचिव।

(4)

ज्ञापांक–5 / विविध–2222 / 12– 2811 / राँची, दिनांक– 5/7/13

प्रतिलिपि–महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सुधीर प्रसाद)
अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक–5 / विविध–2222 / 12– 2811 / राँची, दिनांक– 5/7/13

प्रतिलिपि–माननीय राज्यपाल जी के प्रधान सचिव / माननीय राज्यपाल जी के सलाहकार के विशेष कार्य पदाधिकारी / मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार के आप्त / सभी प्रधान सचिव / सचिव / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी उपायुक्त को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(सुधीर प्रसाद)
अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक–5 / विविध–2222 / 12– 2811 / राँची, दिनांक– 5/7/13

प्रतिलिपि–अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव / अभियंता प्रमुख / मुख्य अभियंता (मुख्यालय) / सभी विभागीय पदाधिकारी / कर्मचारी (मुख्यालय) / क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, राँची / दुमका / सभी अधीक्षण अभियंता (यांत्रिक सहित) एवं सभी कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक सहित) पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सुधीर प्रसाद)
अपर मुख्य सचिव।